

बिहार सरकार
अनुसूजाति एवं अनुसूजनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0-03/निदे0 (छात्रावास संघा0)-66-24/2018-128

प्रेषक,

निदेशक ।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार (खगड़िया, शिवहर एवं वैशाली जिला को छोड़कर)।

पटना, दिनांक-21/08/2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-1143 दिनांक-10.05.2018 के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति योजना का लाभ देने के लिए दूसरी चौमाही हेतु अनुसूचित जाति के लिए ₹34,78,865/- (चौतीस लाख अठहत्तर हजार आठ सौ पैंसठ रु०) मात्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹3,96,085/- (तीन लाख छयानबे हजार पचासी रु०) मात्र की अतिरिक्त राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-1143 दिनांक-10.05.2018 के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं 'अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति योजना का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति के लिए ₹1,12,75,805/- (एक करोड़ बारह लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पाँच रु०) एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹12,37,766/- (बारह लाख सैंतीस हजार सात सौ छियासठ रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹1,25,13,571/- (एक करोड़ पचीस लाख तेरह हजार पाँच सौ इकहत्तर रु०) मात्र की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-22 दिनांक-11.05.2026 द्वारा प्रदान की गई है। तदनु रूप उक्त स्वीकृत राशि में से दूसरी चौमाही हेतु अनुसूचित जाति के लिए ₹34,78,865/- (चौतीस लाख अठहत्तर हजार आठ सौ पैंसठ रु०) मात्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹3,96,085/- (तीन लाख छयानबे हजार पचासी रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹38,74,950/- (अड़तीस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ पचास रु०) मात्र की राशि संलग्न विवरणी 1 एवं 2 के अनुसार आवंटित की जाती है। इस आवंटित राशि से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-4391 दिनांक-10.09.2018 के आलोक में खाद्यान्न पहुँचाने हेतु परिवहन सह हथलन मद में ₹118.90/- (एक सौ अठारह रु० नब्बे पैसा) प्रति किंटल की दर से भुगतान की जाएगी

2- आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उपशीर्ष 0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियां, मांग संख्या-44, विपत्र कोड संख्या-44-2225012770101 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उपशीर्ष 0101-शिक्षा, विषयशीर्ष-0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियां, मांग संख्या-44, विपत्र कोड संख्या-44-2225022770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3-इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी संलग्न विवरणी 1 एवं 2 के अनुसार करेंगे। वे राशि का निकासी कर अपने जिला के जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को मांग के आलोक में ई-चालान के माध्यम से राशि हस्तगत करायेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होंगे।

4-राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17-4-98 द्वारा समय-समय पर दिए विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5-महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकक्षण करने का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6-राशि की विमुक्ति एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

निदेशक

ज्ञापांक-03/निदे० (छात्रावास संधा०)-66-24/2018- 128

दिनांक- 21/08/2026

प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास बिहार पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) (i) अपर सचिव अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर/प्रशाखा पदा०, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

विवरणी-1
अनुसूचित जाति

क्रम संख्या	जिला का नाम	वास्तविक आवासन क्षमता	वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय चार माह के लिए आवंटित राशि (65%)
1	2	3	4
1	Araria	225	80870
2	Arwal	25	8986
3	Aurangabad	50	17971
4	Banka	150	53914
5	Begusarai	50	17971
6	Bettiah	340	122204
7	Bhagalpur	310	111421
8	Bhojpur	475	170726
9	Buxar	250	89856
10	Darbhanga	550	197683
11	Gaya	280	100639
12	Gopalganj	75	26957
13	Jamui	150	53914
14	Jehanabad	300	107827
15	Kaimur	375	134784
16	Katihar	118	42412
17	Kishanganj	200	71885
18	Lakhisarai	100	35942
19	Madhepura	175	62899
20	Madhubani	50	17971
21	Motihari	100	35942
22	Munger	100	35942
23	Muzaffarpur	380	136581
24	Nalanda	350	125798
25	Nawada	475	170726
26	Patna	837	300838
27	Purnia	325	116813
28	Rohtas	325	116813
29	Saharsa	75	26957
30	Samastipur	1265	454671
31	Saran	150	53914
32	Sheikhpura	25	8986
33	Sitamarhi	525	188698
34	Siwan	274	98482
35	Supaul	225	80870
कुल:-		9679	3478865

(चौतीस लाख अठहतर हजार आठ सौ पैंसठ रू०) मात्र

पत्रांक-128 दिनांक-21/08/26 का अनुलग्नक

21/8/26
निदेशक

विवरणी-2
अनुसूचित जनजाति

क्रम संख्या	जिला का नाम	वास्तविक आवासन क्षमता	वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय चार माह के लिए आवंटित राशि (65%)
1	2	3	4
1	Banka	150	53914
2	Bettiah	277	99560
3	Bhagalpur	200	71885
4	Jamui	150	53914
5	Kaimur	25	8986
6	Muzaffarpur	100	35942
7	Purnia	175	62899
8	Rohtas	25	8986
कुल:-		1102	396085

(तीन लाख छियानबे हजार पचासी रू0) मात्र

पत्रांक-128 दिनांक-21/08/26 का अनुलग्नक


निदेशक